

अपत्र (बी)

दिनांक 15.X.71

No एन 7 (196) 27.00) 71

विज्ञापित

शक्ति इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में संभवता उस पर सरकार के और प्राधिकृत व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच में उनका प्रमिलेखन राजस्थान अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञापित के अनुसार किया जा चुका है।

धन: अब उपयुक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि कसबदार रजिस्टर बन कहा जायेगा।

S. d.
राज्यपाल की आज्ञा से,
34/1/71 - राज्यपाल
शासन सचिव
राजस्थान - H. M. (G. P. U.)

भूमि का विवरण

क्रमांक	वर्गीकृत	वन-लपट	मोटा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

सीमा विवरण परिलिखित
(प्र) संलग्न है

क्रमांक	वर्गीकृत	वन-लपट	मोटा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1	2	3	4	5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

प्रपत्र (आ)

दिनांक 15.10.71

उत्तर 7(196) रा.म. 71

विवृति

चूंकि इसके साथ संलग्न प्रपत्रों में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में प्रस्तावित उस पर सरकार के और प्राधिकृत व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका प्रसिलेखन राजस्थान अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विवृति के अनुसरण में किया जा चुका है।

प्रत्येक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रस्तुत शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के प्रस्ताव 4 के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदनुसार रचित बन कहलाया जावेगा।

50
राज्यपाल की आज्ञा से,
उप-राज्यपाल - सांचल
सासन सचिव
राजस्थान सरकार (अ.प्र.म.)

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-संछ	मोजा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जयपुर	लाल्सोट	गरेल मैदान	माफरा	2362-400	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है
"	"	"	कुतार	158-624	
"	"	"	रिवाली	9049-629	
"	"	"	किन्हरी कुवणांव	102-438	
"	"	"	कचनाथपुरा	84-146	
"	"	"	टोडा ठेकला	146-304	
"	"	"	टोडा धामा	66-629	
"	"	"	भुवनाथ		
"	"	"	टोडा धामा	66-629	
"	"	"	टोडा गागा	221-064	
"	"	"	खिरी	206-222	
"	"	"	गोल	1462-629	
"	"	"	गोल	1121-218	
"	"	"	कुट. बियासदुम्बर	2802-040	
			घाटा	2136-400	
			सारीवाला	202-644	
			टोडा	242-439	

हस्ताक्षर

32203.104 = 139.13 की
(कि. की.)

• (कन्दर वन स्वयं कोटि दुप जंगल नकशे)

725

कार्यालय वन बन्दोवस्त/सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी, जयपुर

खसरा बन्दोवस्त व.वत वन-खण्ड

जोत भेन

रेन्ज

लातारोड

सम्बत वर्ष

नाम ग्राम

डोब

तहसील

लातारोड

जिला

जयपुर

विशेष विवरण

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	खातेदार अथवा शिकमी खातेदार का नाम
१	२	३	४
१२३ जुग	१०॥	जै. भु. नदी	सिवाय चक
(१३७) "	१०॥	X	"
१४६ "	३६६/१	बंजड़ रोफा	"
१४७ "	५२१ ॥ ॥ ॥	बंजड़ रोफा	"
१४८ पुरा	१५ ॥ ॥ १	जै. भु. बंजड़	"
१५० "	१५६ ॥ ॥ ४	जै. भु. पहाड़	महाराजा जंगल
६	१०८२ (-१५०)	एकड़ ६६६.१२५	
	१०८१ ॥ १		

सत्य प्रमाणित

६.५.२०११

सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी

जयपुर (राजस्थान)

S.d.

सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी

जयपुर (राज.)

(कन्दर वन खण्ड कोप डूँ बरान्त तहसील)

फार्म (बी)

कार्यालय वन बन्दोवस्त/सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी, जयपुर

खसरा बन्दोवस्त वायत वन-खण्ड गोमती नदी

रेन्ज

लाहौर

सम्बत वर्ष

नाम ग्राम

कुरगा

तहसील

लाहौर

जिला

जयपुर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	खातेदार अथवा शिकमी खातेदार का नाम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१४१ पुरा	२॥१२	दारकाट	सरकार	नोट:- यह खसरा वन-खण्ड है। जो कि कुरगा व गाँव के लोगों के सरहद पर है। जहाँ जंगल के भी खसमी किस्म जमीन जला के पत्र है। आकरना पत्र के तहत खसरा वन-खण्ड है।
१४३	२८१/१	बंजड़ दाया	सिवाय-यक	
१४४	४४२	बंजड़ दाया	महाराजा जंगल	
२	३२६॥१	खसरा - २०४.२४४		

सत्य प्रमाणित

च. २५. ७११॥

१५.२.७५

सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी
(जयपुर)सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी
(जयपुर)

कार्यालय वन बन्दोबस्त/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी,

148

ज.स.रा. बन्दोबस्त बाबत वन स.एड

रेन्ज

सम्पत् वर्ष

जिला

नाम धर्म

तहसील

खातिदार अथवा
शिक्षणी खातिदार
का नाम

विशेष विवरण

खसरा नम्बर	खसरा	क्रिम बमीन	खातिदार अथवा शिक्षणी खातिदार का नाम	विशेष विवरण
1	14913	जै.मु.पहाड़	व.न. विभाग	अ.म.ल
2	1113	बंजोड़ कल्याण	वि.न.	
3	1114	जै.मु.पहाड़	व.न. विभाग	
4	1	प	प	
5	1115	जै.मु.पहाड़	वि.न.	
6	12	जै.मु.पहाड़	प	
7	112	जै.मु.पहाड़	प	
8	113	बंजोड़ कल्याण	प	
9	1311	व.न. विभाग	प	
10	32113	वि.न.	प	
11	1288	वि.न.	व.न. विभाग	
12	112111	वि.न.	प	
13	11220	वि.न.	प	

स.स. 15.2.75-

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

28